

डिस्क्लेमर

अंतरिम आदेश संख्या 38/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रान्ति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईएक्सई) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि
(01.04.2021–31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

**IN THE MATTER OF
DETERMINATION OF AERONAUTICAL TARIFF FOR
MANGALURU INTERNATIONAL AIRPORT (IXE)**

FOR THE FIRST CONTROL PERIOD

(01.04.2021 - 31.03.2026)

जारी करने की तारीख : 11.01.2023

Date of Issue: 11.01.2023

ऐरा भवन /AERA Building
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स / Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा /Safdarjung Airport
नई दिल्ली /New Delhi – 110003

अध्याय-16 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के संबंध में संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सार नीचे दिया गया है:

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2017 से प्रचालन की तारीख (सीओडी) तक की अवधि के लिए एएआई का टू-अप।

- 4.15.1 तालिका 11 के अनुसार प्रचालन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए आरएबी के टू-अप को मानना।
- 4.15.2 तालिका 12 के अनुसार प्रचालन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए मूल्यहास के टू-अप को मानना।
- 4.15.3 तालिका 13 के अनुसार 31 अक्टूबर, 2020 को माने गए 127.42 करोड़ रूपए के प्रारंभिक आरएबी को मानना।
- 4.15.4 तालिका 19 के अनुसार प्रचालन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।
- 4.15.5 तालिका 20 के अनुसार प्रचालन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 4.15.6 तालिका 21 के अनुसार प्रचालन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 4.15.7 तालिका 23 के अनुसार प्रचालन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक कराधान के टू-अप को मानना।
- 4.15.8 प्रचालन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए 14% की दर से एफआरओआर के टू-अप को मानना।
- 4.15.9 भुगतान की वास्तविक तारीख के लिए जैसा भी उपयुक्त हो, तालिका 26 के अनुसार समायोजित समझे गए या पैरा 4.14.2 में दिए गए सूत्र के आधार पर प्रारंभिक आरएबी को मानना।
- 4.15.10 तालिका 24 के अनुसार प्रचालन की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के टू-अप के लिए 81.14 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और उसे प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुनः समायोजित करना।

अध्याय 5: प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक का टू-अप।

- 5.11.1 तालिका 31 के अनुसार प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए आरएबी और मूल्यहास के टू-अप को मानना।
- 5.11.2 प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 14% की दर से एफआरओआर के टू-अप को मानना।
- 5.11.3 तालिका 39 के अनुसार प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के टू-अप को मानना।
- 5.11.4 तालिका 40 के अनुसार प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 5.11.5 तालिका 41 के अनुसार प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के टू-अप को मानना।
- 5.11.6 तालिका 43 के अनुसार प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए हवाईअड्डा प्रचालक के टू-अप के लिए 31 मार्च, 2022 को 31.01 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना और इसे प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर में पुनः समायोजित करना।

अध्याय 6: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

- 6.6.1 तालिका 54 के अनुसार मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।
- 6.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को टू-अप करना।

अध्याय 7: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय, मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

- 7.7.1 पैरा संख्या 7.6.21 में उल्लेख किए अनुसार टर्मिनल भवन के 92:8 के अनुपात को मानना।

- 7.7.2 पैरा 7.3.5 और 7.3.12 में उल्लेख किए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान केवल आईडीसी की अनुमति देना और वित्तीयन भत्ते की अनुमति न देना।
- 7.7.3 तालिका 78 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।
- 7.7.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।
- 7.7.5 पैरा 7.6.14 में उल्लेख किए अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूर्ण/ अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार नहीं होती है तो एआरआर से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1 प्रतिशत राशि घटाना (समायोजित करना)।
- 7.7.6 तालिका 79 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यहास को अंगीकार करना।
- 7.7.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धन और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यहास को टू-अप करना।
- 7.7.8 तालिका 80 के अनुसार मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।
- 7.7.9 पैरा 7.6.16 और 7.6.17 में दिए गए विवरण के अनुसार वास्तव में वहन किए गए खर्च के आधार पर क्रमशः आरएबी/ सीडब्ल्यूआईपी और स्टांप ड्यूटी/ रजिस्ट्रेशन प्रभार पर जीएसटी को मानना।
- 7.7.10 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय V के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और पैरा 7.6.29 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।
- 7.7.11 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

- 8.6.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18 % ईक्विटी की लागत को मानना।
- 8.6.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले अन्य हवाईअड्डों के मामलों में माने जा रहे लक्षित लाभ प्राप्त करने के अनुपात के अनुरूप 48%:52% के कल्पित ऋण ईक्विटी (लाभ प्राप्त करने के) अनुपात को मानना।
- 8.6.3 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।
- 8.6.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और लाभ प्राप्त करने के अनुपात के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% की प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर) को मानना।

अध्याय 9 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

- 9.6.1 तालिका में 88 में दिए गए विवरण के अनुसार मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (एमआईए) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

- 10.6.1 तालिका 104 के अनुसार मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (एमआईए) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 10.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि में टू-अप के समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा वहन किए गए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।
- 10.6.3 हवाईअड्डे के प्रचालनों के परिमाण और स्तर को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक से यह आशा करता है कि वह उच्चतर कैपेक्स और अपेक्षाकृत कम यातयात को देखते हुए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को वहन करने में कार्यक्षमता बढ़ाए।

अध्याय 11 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

- 11.6.1 तालिका 108 के अनुसार मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.6.2 हवाईअड्डा प्रचालक को अन्य समान प्रकार के/ एएआई हवाईअड्डों के अनुरूप प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के एनएआर में पर्याप्त वृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए।

अध्याय 12: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.5.1 तालिका 112 के अनुसार मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.5.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त रूप से ध्यान में रखकर वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.5.1 मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

13.5.2 हवाईअड्डा प्रचालक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सेवा की गुणवत्ता प्रथम नियंत्रण अवधि के रियायत करार में इंगित किए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.6.1 तालिका 116 के अनुसार मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

14.6.2 तालिका 117 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए अनुमानित वैमानिक राजस्व और कम वसूली को मानना।

14.6.3 इस टैरिफ आदेश के संलग्नक I बी के पैरा 18.1.3 में बताए अनुसार 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी वीटीपी को मानना।

14.6.4 प्राधिकरण मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को यह निदेश देता है कि वह हितधारकों और ऐरा की सूचना के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वीटीपी के तहत अर्जित लैंडिंग प्रभार, वहन किए गए व्यय और प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का अलग रिकॉर्ड रखे, ताकि अगली नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए सुविचारित निर्णय लिया जा सके। प्राधिकरण मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश देता है कि इकाओं के भेदभाव न करने संबंधी सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।

14.6.5 प्राधिकरण मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को यह निदेश देता है कि वह ऐरा सीजीएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी कार्गो हैंडलिंग और ईंधन सेवाओं के लिए अलग लेखों का रख-रखाव करें और प्रत्येक लेखांकन वर्ष (31 मार्च को समाप्त) के लिए वार्षिक अनुपालन विवरण (एसीएस) प्रस्तुत करें।

14.6.6 मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक -I (1ए, 1बी, 1सी) के अनुसार टैरिफ दर कार्ड को मानना।

अध्याय -17 आदेश

- 17.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा संलग्नक-I (1ए, 1बी, 1सी) में बताए अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 17.2 वायुयान अधिनियम, 1934 के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 17.3 इसमें निर्धारित टैरिफ उच्चतम दरें हैं और इनमें कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- 17.4 यह आदेश 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी किया जाएगा।
- 17.5 मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्राधिकरण को ठीक समय पर प्रस्तुत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव, ऐरा

सेवामें,
श्री अरूण बंसल,
सीईओ, अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड,
अदानी कॉर्पोरेट हाऊस
शांतिग्राम, एस.जी. हाइवे,
अहमदाबाद – 382421
गुजरात- भारत

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय :एआईसी जारी करने के लिए
3. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

